अनुदान संख्या 31 – आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 31–DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	2887,82,00	3333,83,00	3201,07,85	–132,75,15
पूरक	Supplementary	446,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				97,88,21
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	658,01,00	6658,02,00	6610,04,36	–47,97,64
पूरक	Supplementary	6000,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				40,71,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (13275.15 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 44601.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 30 प्रतिशत और कुल स्वीक त प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.13275.15 lakhs) constituted 30 percent of the supplementary grants of Rs.44601.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	4311.00	5501.35	5409.02	–92.33
पु.	R.	1190.35			
मुख्य शीर्ष "2047'' अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services				
मू.	O.	2360.00	2241.97	1830.78	–411.19
पु.	R.	–118.03			
मुख्य शीर्ष "2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	4298.00	3996.21	3292.32	–703.89
पु.	R.	–301.79			
मुख्य शीर्ष "2075'' विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services				
मू.	O.	482.00	312.00	310.18	–1.82
पु.	R.	–170.00			
मुख्य शीर्ष "2235'' सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	356.00	61.00	61.52	+0.52
पु.	R.	–295.00			
मुख्य शीर्ष "3075'' अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services				
मू.	O.	107815.00	152123.00	151744.83	–378.17
पू.	S.	44308.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	1815.00			
पू.	S.	293.00	10868.41	9087.49	–1780.92
पु.	R.	8760.41			
मुख्य शीर्ष ''3605'' अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	Major Head "3605" Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	25162.00			
			6317.85	6199.71	–118.14
पु.	R.	–18844.15			

(I) तेरह शीर्षों के अंतर्गत 323.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 300.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम - साधारण बीमा निगम आदि के माध्यम से गरीबों के लिए बीमा योजना - गरीबों के लिए बीमा योजना'' के अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा कोई आवश्यकता प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.323.00 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these Rs.300.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes - Insurance Scheme for the poor through GIC etc.- Insurance Scheme for the poor" – due to non-requirement of funds by the Insurance Companies.

(II) मुख्य शीर्ष ''3075'' - ''अन्य - लाभांश राहत के प्रति रेलवे को आर्थिक सहायता - रेलवे को अदायगी'' के अंतर्गत 107815.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 13408.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 121223.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो आर्थिक सहायता के लिए प्रत्याशा से कम पूंजी के योग्य पाए जाने के कारण 378.17 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "3075" - "Others - Subsidy to Railways towards dividend relief - Payment to Railways" - the original provision of Rs.107815.00 lakhs was augmented to Rs.121223.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.13408.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.378.17 lakhs - due to less capital qualified for subsidy than anticipated.

(III) मुख्य शीर्ष ''2047'' - ''अल्प बचतों का संवर्धन - राष्ट्रीय बचत संस्थान'' के अंतर्गत 362.76 लाख रु. की बचत (1334.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय बचत संस्थान की पुनर्संरचना किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2047"- "Promotion of Small Savings – National Savings Institute" - saving of Rs.362.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1334.00 lakhs) was due to restructuring of the National Savings Institute and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) ''औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड''- 148.46 लाख रु. की बचत (752.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) ''ऋण वसूली अधिकरण'' - 619.68 लाख रु. की बचत (2561.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान''- 200.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कम आवश्यकताएं प्रस्तुत किए जाने और किफायती उपाय लागू किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2075'' - ''अन्य व्यय - देशी सहयोग ढांचा-II के लिए अंब्रेला सहायता परियोजना'' के अंतर्गत 181.08 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता योजना स्कीम के अधीन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों से निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3605'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) '' अन्य देशों के साथ सहयोग - विकास सहायता'' के अंतर्गत 20964.21 लाख रु. की बचत (21417.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे होने और आर्थिक सहायता के रूप में निधियों का अंतरण शीर्ष ''भारत के आयात-निर्यात बैंक को ब्याज समानीकरण सहायता'' को किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अशंदान - अन्य विकास कार्यक्रम''- 184.50 लाख रु. की बचत (2250.00

(IV) Under Major Head "2070"- "Other Expenditure"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Board for Industrial and Financial Reconstruction"-saving of Rs.148.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.752.00 lakhs); and

(B) "Debts Recovery Tribunals" - saving of Rs.619.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2561.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(C) "Grants-in-aid to Pension Fund Regulatory and Development Authority" - saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to less requirement by Pension Fund Regulatory and Development Authority and economy measures.

(V) Under Major Head "2075" – "Other Expenditure – Umbrella Support Project for Country Co-operation Frame Work-II" - saving of Rs.181.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to less requirement of funds by the project executing agencies under United Nations and Development Programme Assistance Plan Scheme.

(VI) Under Major Head "3605" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Co-operation with Other Countries - Development Assistance" - saving of Rs.20964.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21417.00 lakhs) was due to receipt of less claims and transfer of funds as subsidy to the head "Interest Equalisation support to Exim Bank of India".

(B) "Contribution to United Nations Development Programme – Other Development Programme"- saving of Rs.184.50 lakhs (against

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कम आवश्यकता प्रस्तुत किए जाने के कारण हुई।

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत 320.14 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (12289.35 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 44601.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - आर्थिक कार्य विभाग"- 1190.35 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1098.02 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - भारत के आयात-निर्यात बैंक को ब्याज समानीकरण सहायता" - 8800.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7086.71 लाख रु. था।,

(गा) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य व्यय - एशियाई विकास बैंक की 39वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए व्यय"- 2299.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2273.00 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs) was due to less requirement projected by Global Environment Trust Fund and United Nations Development Programme.

(VII) Under four heads savings of Rs.320.14 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 20 percent to 87 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.12289.35 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.44601.00 lakhs and vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2052" - "Secretariat – Department of Economic Affairs"- Rs.1190.35 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1098.02 lakhs.

(B) Major Head "3475" – "Other Expenditure – Interest Equilisation support to Exim Bank of India" – Rs.8800.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7086.71 lakhs.

(C) Major Head "3605" - "Other Expenditure – Expenditure towards Organising 39th AGM of the ADB"- Rs.2299.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2273.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4075" विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
पू.	S.	1.00	720.00	711.72	–8.28
पु.	R.	719.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	50000.00	650000.00	650000.00	. .
पू.	S.	600000.00			
मुख्य शीर्ष ''7605'' विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	15800.00	11010.00	10292.64	–717.36
पु.	R.	–4790.00			

(I) 52301.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 52300.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.52301.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.52300.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5475'' - ''अन्य व्यय - अध:संरचना विकास के लिए सहायता'' - 50000.00 लाख रु. संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(A) Major Head "5475" - "Other Expenditure - Assistance for Infrastructure Development" - Rs.50000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from concerned implementing Ministries.

(खा) मुख्य शीर्ष ''7605'' के अंतर्गत-

(क) ''म्यांमार की सरकार को कर्ज - नया ऋण''- 500.00 लाख रु.; और

(ख) ''मारीशस की सरकार को कर्ज - नया ऋण, 1994''- 1800.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उक्त सरकारों को प्रदान की गई अधिकतम ऋण सीमा के संबंध में बजट अनुमान तैयार करते समय प्रतिपूर्ति के दावे कम प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) Under Major Head "7605"-

(a) "Loans to Government of Myanmar – New Credit"-Rs.500.00 lakhs; and

(b) "Loans to Government of Mauritius – New Credit 1994"- Rs.1800.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained untuilised due to receipt of less reimbursement claims at the time of framing the budget estimates in respect of credit line extended to the said Governments.

(II) मुख्य शीर्ष ''7605'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "7605"- savings occurred under the following heads:-

(का) ''कंबोडिया की सरकार को कर्ज - नया ऋण'' - 1807.58 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''श्रीलंका की सरकार को कर्ज - नया ऋण 1994'' - 899.67 लाख रु. की बचत (10800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तलुना में) हुई; और

(गा) ''लाओस की सरकार को कर्ज - नया ऋण'' - 448.58 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें उक्त सरकारों को प्रदान की गई अधिकतम ऋण सीमा के संबंध में बजट अनुमान तैयार करते समय प्रतिपूर्ति के दावे कम प्राप्त होने के कारण हुईं।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 51.53 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 52 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (50719.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त, 2006 और मार्च, 2007 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 600001.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4075'' - ''अन्य व्यय - बजट प्रैस के लिए बहुरंग लेब ऑफसेट मशीन की खरीद'' - 719.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 710.12 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''5475'' - ''आरक्षित निधि को अंतरण - सामाजिक एवं अवसंरचनात्मक विकास पूंजीगत निधि को अंतरण'' - 50000.00 लाख रु. थे।

(A) "Loans to Government of Combodia – New Credit" - saving of Rs.1807.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs);

(B) "Loans to Government of Sri Lanka – New Credit 1994" - saving of Rs.899.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10800.00 lakhs); and

(C) "Loans to Government of Laos – New Credit" - saving of Rs.448.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less reimbursement claims at the time of framing the budget estimates in respect of credit line extended to said Governments.

(III) Under one head saving of Rs.51.53 lakhs occurred constituting 52 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (Rs.50719.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.600001.00 lakhs in August, 2006 and March, 2007 under the following major heads:-

(A) Major Head "4075" - "Other Expenditure - Purchase of Multicolour Web Offset Machine for Budget Press" - Rs.719.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.710.72 lakhs.

(B) Major Head "5475" - "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Social and Infrastructure Development Capital Fund" - Rs.50000.00 lakhs.